



Neutral Citation No . - 2026:AHC:5141

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 14004 वर्ष 2003

कांस्टेबल सी.पी. संख्या 2306, अब सी.पी संख्या 378

सुखबीर सिंह

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, एस.एस.पी. जिला आगरा

के माध्यम से और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पी.के. मिश्रा, रामकृष्ण मिश्रा, शमीमुल हसनैन,

स्नेहलता चौधरी, वी.बी. शुक्ला, विवेक मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल की बात सुनी।
2. चूंकि दोनों पक्षों के बीच प्रति-शपथपत्र और प्रत्युत्तर शपथपत्र का आदान-प्रदान हो चुका है और उन्होंने आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं किया है, इसलिए इस स्तर पर रिट याचिका पर निर्णय लिया जा रहा है।
3. मूल याचिकाकर्ता सुखबीर सिंह का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर 10.10.1977 को हुई थी और अनधिकृत अनुपस्थिति और कदाचार के कारण 05.09.1994 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत मूल याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। इस आदेश को मूल याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 36649 वर्ष 1995, सुखबीर सिंह बनाम एस.एस.पी. आगरा और अन्य के तहत चुनौती दी थी और उक्त रिट याचिका पर 22.01.2002 को निर्णय लिया गया था। आदेश का अंश नीचे उद्धृत किया गया है:

“परिणामस्वरूप, रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 5.9.1994 को पारित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक-4) और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश (रिट याचिका का अनुलग्नक-6) को निरस्त किया जाता है। हालांकि, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के विरुद्ध कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करने का अधिकार होगा।”

4. इसके बाद, प्रतिवादियों ने एक जांच की और 28.12.2002 को एक आदेश पारित किया जिसमें मूल याचिकाकर्ता को दो साल की अवधि के लिए न्यूनतम वेतनमान में रखने का दंड आरोपित किया गया और एस.एस.पी. वाराणसी के 28.12.2002 के आदेश के अनुसार 05.09.1994 से 05.02.2002 की अवधि को 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' की अवधि माना गया।

5. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि जब इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.1994 के बर्खास्तगी आदेश को 22.01.2002 को रिट याचिका संख्या 36649 वर्ष 1995 में रद्द कर दिया गया था, तो मूल याचिकाकर्ता को 05.09.1994 से 05.05.2002 की अवधि के लिए वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रतिवादियों के पास एकमात्र उपाय वेतन कटौती करना और उक्त अवधि को 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के रूप में मानना था, जो कि 05.09.1994 से लेकर इस न्यायालय द्वारा 22.01.2002 को बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने के आदेश पारित होने तक की अवधि थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आदेशों को रद्द किया जाए और मामले को नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाए।

7. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने प्रस्तुत किया है कि जो भी हो, आदेश में ही त्रुटि आ गई है, क्योंकि यह गलतफहमी पर आधारित है। उनके अनुसार, दिनांक 05.09.1994 के बर्खास्तगी आदेश को 22.01.2002 को रद्द कर दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता 22.01.2002 से आगे की अवधि के वेतन का हकदार है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आदेश को रद्द कर दिया जाए और अधिकारियों को नया आदेश पारित करने का अधिकार दिया जाए।

8. मैंने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

9. स्पष्ट रूप से, मूल याचिकाकर्ता को 05.09.1994 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। रिट याचिका संख्या 36649 वर्ष 1995 को 22.01.2002 को स्वीकार कर लिया गया और बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए प्रतिवादियों को जांच करने का अधिकार दिया गया। हालांकि याचिकाकर्ता को 22.01.2002 को फिर से बहाल किया जाना था, लेकिन प्रतिवादियों ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



05.09.1994 से 22.01.2002 तक की अवधि को 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' के रूप में माना है, जो न्यायालय की राय में कानून के अनुसार नहीं है, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता 22.01.2002 से वेतन और अन्य लाभों के भुगतान का हकदार था। चूंकि मूल याचिकाकर्ता का निधन हो गया है, इसलिए लाभ मूल याचिकाकर्ता के वारिसों को दिए जाने चाहिए।

10. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है:

(ए) एस.एस.पी. आगरा द्वारा दिनांक 28.12.2002 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

(बी) मामले को कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया है।

11. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

8 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)